उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस पिटीशन नं0-30/2019-20

सरकार

बनाम्

देवेश कुमार मिश्रा एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक 02/02/22

विपक्षी को समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन के बाद भी विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय आदेश हेतु निर्धारित किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक–4130/अप0शा0 दिनांक–25.10.2019 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। मामला बोआरीजोर थाना काण्ड संख्या–05/2019 दिनांक–31.03.2019 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने धारा–413/414/34 भा0द0वि0 एवं 4/21 एम0एम0आर0डी0 एक्ट एवं 30(2) कोल माईन्स एक्ट के तहत जप्त वाहन ट्रक निबंधन सं0–JH18C-1444 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है।

अवैध कोयला चोरी के आरोप में प्राथमिकी अभियुक्त ट्रक निबंधन नं0–JH18C-1444 के 1. मालिक, 2. चालक के विरूद्ध काण्ड अंकित किया गया है एवं इस कांड को धारा–413/414/34 भा0द0वि0 एवं 4/21 एम0एम0आर0डी0 एक्ट एवं 30(2) कोल माईन्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध सत्य पाया गया है।

विपक्षी को समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन के बाद भी विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी को कुछ नहीं कहना है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जप्त वाहन ट्रक निबंधन सं0–JH18C-1444 के द्वारा कोयला चोरी करने के आरोप में काण्ड अंकित किया गया है एवं जाँच में कोयला चोरी के आरोप को सत्य पाया गया है।

अतः जप्त वाहन ट्रक निबंधन सं0–JH18C-1444 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात किया जाता है। आदेश की प्रति सभी संबंधित को निर्गत करें।

प्रेषित–16 02/02/2022

लिखा एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:03:47 +05:30
Location: 192.168.29.8

02/02/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

02/02/22

उपायुक्त,
गोड्डा।